



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2013/माघ 4, 1934

No. 227]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

का.आ. 243(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नीचे दी गई अनुसूची-I में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान प्रायोगिक सर्वेक्षण के तौर पर सांख्यिकीय सर्वे, जिसे इसके बाद 'सेवा क्षेत्र संबंधी प्रायोगिक सर्वेक्षण 2012' के रूप में कहा गया है, के माध्यम से सेवा क्षेत्र के संबंध में आंकड़े एकत्र करने का एतद्द्वारा निदेश देता है।

2. मंत्रालय उपरोक्त निदेश के संदर्भ में नीचे दी गई अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों को उनके नामों के आगे दिखाई गई भौगोलिक यूनिट के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करने, तत्संबंधी रिकॉर्डों का निरीक्षण करने, तथा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उस सांख्यिकी अधिकारी के कार्य क्षेत्र में लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो-पहचान पत्र अथवा प्राधिकार-पत्र साथ रखेगा।

4. सूचनादाताओं द्वारा सेवा क्षेत्र के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की विधिवत जांच और सत्यापन के बाद, इनका उपमहानिदेशक का कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक स्कंध), कोलकाता में कार्यरत अधिकारियों द्वारा विधायन किया जाएगा।

5. सेवा क्षेत्र संबंधी प्रायोगिक सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़े सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे। किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) अथवा (6) के तहत कोई शक्ति नहीं दी गई है।

अनुसूची-I**सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन**

1. वार्षिक आधार पर संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन के वास्ते सर्वेक्षण डिज़ाइन और प्रश्नावली की समुचितता को परखने के लिए, सेवा क्षेत्र संबंधी प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से गैर-कृषिगत तथा गैर-विनिर्माण सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों में कार्यरत सेवा क्षेत्र की इकाइयों की संरचना और ढांचे से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत, सेवा क्षेत्र संबंधी प्रायोगिक सर्वेक्षण 6 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा भारत के 4 महानगरों नामतः चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

आंकड़ा संग्रहण का रीति-विधान

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सूचनादाताओं को नोटिस जारी करेगा, जिसमें तारीख जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय जिसे, इकाई अथवा इकाइयां जिनके लिए, और प्रपत्र जिसमें सूचना देना अपेक्षित है, का ब्योरा दिया जाएगा। सांख्यिकी अधिकारी नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए, सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्धारित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

सूचनादाताओं का प्रकार जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाएंगे

4. सेवा क्षेत्र की इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

5. ऐसे मामले में, जहां विभिन्न इकाइयों के लिए अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है, सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए, एक ही प्रबंध-मंडल के अधीन दो अथवा अधिक इकाइयों के संबंध में मालिक अथवा पदाधिकारी से समेकित सूचना मांग सकता है, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

अवधि जिसमें सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा

6. नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और आमतौर पर यह तारीख वित्तीय वर्ष के अंदर ही होगी।

संदर्भ अवधि

7. वर्ष की पहली अप्रैल को शुरू और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष (उदाहरण के लिए अप्रैल, 2012-मार्च, 2013) अथवा इकाई के वर्ष की पहली अप्रैल को शुरू और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होने वाले लेखाकरण वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध करानी होगी। तथापि जो इकाइयां लेखा-बहियां नहीं रखती हैं, ऐसी मौसमी इकाइयों के लिए संदर्भ अवधि को बदला जा सकता है और सर्वेक्षण की तारीख से पहले के अंतिम कार्य-माह अथवा पिछले 30 दिन को संदर्भ अवधि बनाया जा सकता है।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. परिसंपत्तियों तथा देयताओं, रोजगार तथा श्रम लागत, प्राप्तियां, व्यय, आदान, प्रतिफल, कारक आय और भुगतान, लाभ, कर, मूल्यवर्धन की गणना के लिए अपेक्षित सभी डेटा, आदि के बारे में सूचना एकत्र की जाएगी।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत की जानी है।

9. सूचनादाता हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा।

सूचनादाता की बाध्यताएं

10. सेवा इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी सूचना उसी प्रकार तथा उस तिथि तक प्रस्तुत करेगा जैसा कि संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लेख किया गया हो। उसे निरीक्षण हेतु संबंधित रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने होंगे, तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यकतानुसार मांगी जाने वाली सूचना के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

कारोबार के रिकॉर्ड तथा अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार के रिकॉर्डों जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाते, मस्टर रोल, हाजिरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, पे-रोल, निदेशक की रिपोर्ट अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के समर्थन में किसी भी अन्य वैधानिक दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार के रिकॉर्डों तथा अन्य रिकॉर्डों के आधार पर उस इकाई द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन कर सकता है तथा संबंधित मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	पता
1.	श्री बी.के. गिरि, उपमहानिदेशक सीएसओ (आईएस विंग), भारत सरकार	अखिल भारत	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, औद्योगिक सांख्यिकीय स्कंध, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001.

[फा. सं. एम-12012/2/2012-ईएसडी]

अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

S.O. 243(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics and Programme Implementation hereby directs collection of statistics on services sector through a statistical survey during the year 2012-13 in the form of a pilot survey, hereinafter referred to as 'Pilot Survey on Services Sector 2012', as per the details mentioned in the Schedule-I given below.

2. The Ministry further appoints the person, mentioned in the Schedule-II given below, as Statistics Officer in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the Statistics Officer.

4. The statistics collected in respect of the Services Sector furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Central Statistics Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Pilot Survey on Services Sector are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of section 4 of the Act.

SCHEDULE-I**Subject and purpose for collection of Statistics**

1. Statistics relating to composition and structure of the services sector units engaged in non-agriculture and non-manufacturing services sector activities would be collected through the Pilot Survey on Services Sector to understand appropriateness of the survey design and questionnaire for conducting a full-fledged survey on annual basis.

Geographical area for collection of statistics

2. The Pilot Survey on Services Sector will be conducted under the Collection of Statistics Act, 2008 in the 6 States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Punjab and Uttar Pradesh and in 4 metro cities of India namely, Chennai, Kolkata, Mumbai and New Delhi.

Method of data collection

3. A notice will be issued by the Statistics Officer to informants indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. The Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other condition that he may specify in the notice.

Nature of informants from whom data may be collected

4. The owner or occupier of a unit in services sector, who would be issued notice by the Statistics Officer shall furnish information about the unit.

5. The Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of statistics may be completed

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall within a financial year.

Reference Period

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April of a year and ending on 31st March of the next subsequent year [example, April 2012-March, 2013] or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April of a year and ending on 31st March of the next subsequent year. However, those units which do not maintain the books of accounts, the reference period may be changed for seasonal units to the last 30 days or last working month, preceding of the date of survey.

Nature of Information to be collected

8. Information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, inputs, outputs, factor income and payment, profit, tax, all data required to calculate value addition, etc. are to be collected.

Language in which information is to be furnished by informant.

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English.

Obligation of informant

10. An owner or occupier of a services unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit & loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

SCHEDULE – II

Sl. No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1	Shri B. K. Giri, Deputy Director General CSO (IS Wing), Govt. of India	All India	Central Statistics Office, Industrial Statistics Wing, 1, Council House Street, Kolkata-700 001.

[F. No. M-12012/2/2012-ESD]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.